न्यायालयः– अंकिता श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल (म.प्र.)

आपराधिक प्रकरण क्रमांकः–2765/2023
संस्थित दिनांक–10.04.2023
फाईलिंग नंबर–11808/2023
MP0401-13828-2023

———————————————————————————————

पुलिस थाना–एम.पी. नगर, जिला भोपाल के अपराध क्रमांक–06/2023 अपराध अन्तर्गत धारा–279, 337 एवं 323 भा.दं.सं. 1860 से उद्भूत प्रकरण।

———————————————————————————————

परिवादी/अभियोजन	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एम.पी. नगर जिला भोपाल
प्रतिनिधित्व द्वारा	सहायक लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव
अभियुक्त/गण	रितिक मालवीय पिता रामनारायण मालवीय, आयु–22 वर्ष, निवासी– मकान नं–25 दुर्गा नगर, शिवाजी नगर, थाना हबीबगंज, भोपाल म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	अधिवक्ता श्री दीपेश शर्मा

प्रकरण का सारणीबद्ध विवरण

अपराध की तारीख	06.01.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	06.01.2023
आरोप पत्र की तारीख	10.04.2023
आरोप विरचना की तारीख	22.05.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	30.10.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	30.10.2023
दण्डादेश यदि कोई, की तारीख	निरंक

अभियुक्त/गण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने की सूचना दिनांक	जमानत पर रिहा किए जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1	रितिक मालवीय	23.03.2023	10.04.2023	धारा–279, 337 एवं 323 भा.दं. सं. 1860.	दोषमुक्ति	निरंक	निरंक

प्रारूप–सी

सूची अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी की अ. अभियोजन

रेंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
अ.सा.–1	तुषार शुक्ला	फरियादी

ब. बचाव साक्षी, यदि कोई हो : नहीं।

स. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो : नहीं।

अभियोजन/बचाव/न्यायालय की प्रदर्श सूची अ. अभियोजन

स.क्र.	प्रदर्श नंबर	अ.सा.क्र.	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	अ.सा.क्र.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी–2	अ.सा.क्र.1	नक्शा मौका
3	प्रदर्श पी–3	अ.सा.क्र.1	पुलिस कथन

ब. बचाव : कुछ नहीं

स. न्यायालय प्रदर्श : निरंक

निर्णय

(आज दिनांक–30–10–2023 को घोषित किया गया)

01. अभियुक्त रितिक मालवीय पर यह आरोप है कि उसने दिनांक 06.01.2023 को समय 21:00 बजे स्थान प्रगति चौराहा के आगे मंदिर के पास, शिवाजी नगर, एम.पी. नगर भोपाल स्थित लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक–एम.

पी.04–सी.यू. 8341 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी तुषार शुक्ला की एक्टिवा में टक्कर मारकर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की तथा आपने फरियादी/आहत तुषार शुक्ला के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। इस प्रकार ऐसा कृत्य किया जो धारा–279, 337, 323 भा.दं.सं. के तहत् दंडनीय अपराध है।

02. फरियादी द्वारा दिनांक 30.10.2023 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा–337, 323 भा.दं.सं. का अपराध शमनीय होने से उक्त धाराओं में राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया परंतु शेष धारा–279 भा.दं.सं. अश्मनीय होने से विचारण जारी रखा गया।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी तुषार शुक्ला अपने साथी निशांत सिंह रघुवंशी व पवन सिंह तोमर के साथ थाने पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट की कि वह एम.पी. नगर में ट्रेवल्स का काम करता है। घटना दिनांक 06.01.2023 को रात के करीब 9:00 बजे वह अपनी एक्टिवा क्रमांक–एम.पी.04 एस.टी. 8811 से शिवाजी नगर से निकलकर प्रगति चौराहा के आगे मंदिर के पास पहुॅचा तभी उसके सामने दाहिने तरफ से कार क्रमांक–एम.पी.04 सी.यू. 8341 का चालक अपनी कार को काफी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की एक्टिवा में टक्कर मार दी, जिससे वह एक्टिवा सहित रोड़ पर गिर गया। टक्कर लगने से उसके दोनों पैर के घुटने, बाये हाथ की अंगुलियों व कंधे के पास चोट आयी तभी फरियादी गाड़ी का फोटो लेने लगा तो गाड़ी के चालक ने उसके बाल पकड़कर लात घुसों से मारपीट करने लगा। तब फरियादी ने अपने साथी निशांत सिंह रघुवंशी एवं पवन सिंह तोमर को फोन कर बुलाकर थाने पर जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया। नक्शामौका बनाया गया,

गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये, वाहन की जप्त एवं अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। संपूर्ण विवेचना पूर्ण होने पर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्त को निर्णय की कंडिका–1 में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर उसने अपराध अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा। धारा–313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियोजन साक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं होने से अभियुक्त का परीक्षण न्यायालय के समक्ष नहीं कराया गया।

05. <u>विचारणीय प्रश्न</u> :–

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.01.2023 को समय 21:00 बजे स्थान प्रगति चौराहा के आगे मंदिर के पास, शिवाजी नगर, एम.पी. नगर भोपाल स्थित लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक–एम.पी.04–सी.यू. 8341 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

02. यदि हां तो दंड ?

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

<u>विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01</u> :–

06. इस संबंध में फरियादी/आहत तुषार शुक्ला **(अ.सा.1)** ने न्यायालय में कथन किया है कि वह न्यायालय उपस्थित अभियुक्त ऋतिक मालवीय को जानता हूँ। वह एम.पी. नगर में ट्रेवर्ल्स का काम करता है। दिनांक 06.01.2023 को रात के करीब 9:00 बजे वह अपनी एक्टिवा से प्रगति चौराहे से आगे मंदिर चौराहे पर जा रहा था, तभी सामने से आ रही कार चालक ने साईड के चक्कर में उसकी बहस एवं झूमाझटकी हो गयी थी, जिसके संबंध में उसने थाना एम.पी. नगर भोपाल में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की थी, जो प्रदर्श पी–1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को वह जगह बता दी थी जहॉ पर घटना कारित हुई थी। पुलिस ने घटना स्थल पर आकर नक्शामौका प्रदर्श

पी–2 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उससे प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने योग्य सूचक प्रश्न भी पूछे गए परंतु फरियादी द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन साक्षी फरियादी/आहत तुषार शुक्ला **(अ.सा.1)** ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि कार क्रमांक–एम.पी.04 सी.यू. 8341 के चालक ने उपेक्षा व उतावलेपन से कार को चलाकर उसकी एक्टिवा में टक्कर मारी। इस प्रकार पुलिस कथन प्रदर्श पी–3 का ए से ए भाग का कथन पुलिस को देने से इंकार किया है।

07. प्रकरण में अन्य कोई साक्षी का अभियोजन द्वारा परीक्षण नहीं कराया गया है, जिसके द्वारा अभियुक्त की पहचान एवं अभियुक्त द्वारा चलाया जाने वाले वाहन के बारे में भी कोई कथन नहीं किया गया है। दुघ र्टना संबंधित मामले में यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त लोकमार्ग पर ऐसी रीति से वाहन चला रहा था, जिससे मानव जीवन को खतरा था या अन्य व्यक्ति को क्षति होने की संभावना थी। हस्तगत् प्रकरण में अभियुक्त पर आरोपित आरोप का महत्वपूर्ण घटक किसी भी फरियादी/आहत द्वारा अभिकथन नहीं किया गया है और ना ही फरियादी/आहत द्वारा वाहन चालक द्वारा अपने वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाये जाने के तथ्य को प्रमाणित नहीं किया है। फरियादी/आहत ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है।

08. तेजी व लापरवाही के संबंध में न्याय दृष्टांत **हरियाणा राज्य विरूद्ध शेरसिंह ए आई आर 2009 एस सी 823 एवं रामदयाल विरूद्ध म.प्र. राज्य 1993 एम पी एल जे 532** अवलोकनीय है, जहॉ यह प्रतिपादित किया है कि यदि वाहन चालक के संबंध में संदेह से परे साक्ष्य ना हो तो अभियुक्त को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। प्रकरण में भी वाहन चालक के संबंध में

साक्ष्य प्रस्तुत करने में अभियोजन असफल रहा है। ऐसे में तेजी व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के संबंध में अभियुक्त को दोषी करार देना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है।

09. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना दिनांक 06.01.2023 को समय 21:00 बजे स्थान प्रगति चौराहा के आगे मंदिर के पास, शिवाजी नगर, एम.पी. नगर भोपाल स्थित लोकमार्ग पर वाहन कार क्रमांक–एम.पी.04–सी.यू. 8341 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

10. अतः अभियुक्त रितिक मालवीय पिता रामनारायण मालवीय, आयु–22 वर्ष, निवासी–मकान नं–25 दुर्गा नगर शिवाजी नगर, थाना हबीबगंज, भोपाल को धारा–279 भा.दं.सं. के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

11. अभियुक्त के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर देने के संबंध में कोई पत्रावली प्रकरण में संलग्न नहीं होने से सुपुर्दनामा के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। सुपुर्ददार द्वारा आवेदन देने पर जप्तशुदा वाहन का निराकरण किया जावेगा। अन्यथा की दशा में वाहन राजसात किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देर्शो का पालन किया जावे।

स्थान–भोपाल मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

दिनांक–30.10.2023

(अंकिता श्रीवास्तव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम–श्रेणी
भोपाल (म.प्र.)

ANKITA SHRIVASTAVA

Digitally signed by ANKITA SHRIVASTAVA
Date: 2023.10.31 12:57:30 +0530